न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3268/2006/जोधपुर

रामसिंह पुत्र श्री दुलेराज के कायम मुकाम :–
1.श्रीमती गुलाबकंवर पत्नि रामसिंह दर्जी
2.भवानीसिंह पुत्र रामसिंह दर्जी
3.जसवंतसिंह पुत्र रामसिंह दर्जी
समस्त निवासीगण कुडी भगतासनी तहसील व जिला जोधपुर

.......अपीलार्थी

बनाम

1.जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.राजस्थान सरकार

............प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :–

श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण
श्री अशोक अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी सं.1
श्री एस.पी.औझा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांकः– 11–3–26**

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा अपील सं. 13/05 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–2–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा भाकरासनी तहसील जोधपुर की सरहद में स्थित आराजी खसरा सख्या 10 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 14 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 17 रकता 1 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा संख्या 18 रकबा 7 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा वादी के पिता दुलेराज एवं उनके भाई अमरसिंह की जागीर की जमीन थी। वक्त जागीर उसके पिता आदि उक्त जमीन

का उपयोग निजी जोहड के रूप में करते थे और इस पर अपने पशुओं को चराते थे। सवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय भी उक्त भूमि वादी के पिता आदि की जागीर में जागीरदार मकबुजा खुद दर्ज थी और जागीर में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि का लगान नहीं लगता था। जागीर रिज्युम होने पर उक्त भूमि जागीर कर्मचारियों द्वारा वादी के पिता आदि की खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजस्व रिकार्ड में खालसा सरकार बिला कब्जा दर्ज कर दी गयी, जबकि मौके पर जागीरकाल एवं उसके बाद भी उसके पिता आदि का कब्जा उक्त भूमि पर कायम रहा और वादी के पिता के फौत होने के बाद से वादी स्वय का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादी रामसिंह ने अपने वाद में यह भी जाहिर किया कि माह जनवरी 1990 में तहसीलदार जोधपुर द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने के सबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया, तव राजस्व रिकार्ड के सबंध में वादी को वस्तुस्थिति की जानकारी हुई और वादी द्वारा राज्य सरकार को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया गया तथा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 30–3–05 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–2–06 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। संवत 2015 एवं 2016 की खसरा गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि जागीरदार दुलेराज की खुदकाश्त में दर्ज है तथा इस प्रकार संवत 2012 में जागीर मकबूजा दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13 एवं भूमि सुधार एव जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जो भूमि जागीरदार की खुदकाश्त में दर्ज है, जागीरदार उस भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी स्थिति पर मनन नहीं किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण–अपीलाण्ट ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी इस तथ्य को साबित किया है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर वक्त जागीर से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से कोई खण्डन भी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण–अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजियात पर संवत 2012 से कब्जा काश्त नहीं होना मानते हुए दावा खारिज करने में विधिक भूल की। अपीलार्थी द्वारा आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18–10–22 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से भी अपीलार्थी का वाद साबित होता है जिसके अनुसार खसरा बंदोबस्त संवत् 2004 से 2005 में विवादित आराजी

जागीरदार गैर मकबूजा दर्ज है, खेवट खतौनी संवत् 2006 में विवादित आराजी दुलेराज पुत्र तेजराज के नाम दर्ज है, गिरदावरी संवत् 2018 से 2021, 2022—2023, 2025—2028, 2027—2030, 2031—2033, 2033—2037, 2037—2040, 2042—2045, 2046—2049 से भी अपीलार्थी/वादी का कब्जाकाश्त प्रमाणित होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलार्थी का वाद नियमों के विरूद्ध खारिज किया है। अतः दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर यह द्वितीय अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलांट को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी का वाद विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत साबित नहीं होने की स्थिति में खारिज किया है जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया है। अपीलाण्ट्स ने विवादित आराजियात पर वक्त जागीर से अपना खुदकाश्त कब्जा होना जाहिर किया है तथा जागीर पुर्नग्रहण के समय भी उक्त भूमि उनकी खुदकाश्त होने के आधार पर जागीर पुनग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत स्वयं को विवादित आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित होना जाहिर करते हैं। किन्तु वादी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया जिसका समर्थन अपीलीय न्यायालय ने भी किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें विधि अथवा तथ्य सम्बंधी किसी प्रकार की तात्विक त्रुटि नहीं होने से हस्तगत् अपील खारिज की जावें।

5— अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली के साथ दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वादीगण द्वारा वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय से उक्त भूमि वादी के पिता आदि की जागीर में जागीरदार मकबुजा खुद दर्ज होने के आधार पर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 30—3—05 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27—2—06 द्वारा खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत

प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा अपने समर्थन में विभिन्न खसरा गिरदावरियों का हवाला देते हुये वक्त जागीर से अपना खुदकाश्त कटजा होना जाहिर करते है तथा जागीर पुर्नग्रहण के समय भी उक्त भूमि उनकी खुदकाश्त होने के आधार पर जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत स्वयं को विवादित आराजी बाबत् खातेदारी अधिकार अर्जित होना जाहिर करते है किंतु साक्ष्यों के आधार पर उक्त तथ्यों की पुष्टि नहीं होती। 1974 आरआरडी पेज 209 (हेडनोट बी) में राजस्व मंडल द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार खसरा गिरदावरी का बतौर साक्ष्य उपयोग कब्जे के बिंदु का विनिश्चयन करने में किया जा सकता है। किन्तु हस्तगत् प्रकरण में जो साक्ष्य, खसरा गिरदावरी आदि वादी अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये है, उनके आधार पर किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजियात पर वादी अपीलाण्ट संवत 2012 में खुदकाश्त काश्तकार साबित नहीं होता है। खसरा गिरदावरियों की जो नकले पेश की गयी है, उनके आधार पर भी संवत 2012 व बाद के वर्षों में विवादित आराजियात बंजड, धडा गैर काबिलकाश्त आदि दर्शाई गयी है तथा उसमें किसी प्रकार की काश्त का उल्लेख नहीं है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्विवाद तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि संवत 2012 में वादी अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजियात के एडमिटेड टीनेन्ट थे अथवा जागीर पुनर्ग्रहण के समय उक्त भूमि उनकी खुदकाश्त भूमि थी। जब तक राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी में खुदकाश्त का इंद्राज नहीं हो, किसी आसामी को खुदकाश्त आसामी नहीं माना जा सकता। वादी अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजियात उनकी खुदकाश्त भूमि मानी जा सकती हो अथवा संवत 2012 में विवादित आराजियात बावत वादी अपीलाण्ट एडमिटेड टीनेण्ट साबित होते हो। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज, साक्ष्य, रिकार्ड आदि को दृष्टिगत रखते हुये सकारण निष्कर्ष अंकित करते हुये दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के साथ निष्कर्ष अंकित करते हुये तथा वादी अपीलाण्ट संवत 2012 में वादग्रस्त आराजियात के एडमिटेड टीनेन्ट अथवा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के प्रभाव में आने के समय वादग्रस्त भूमि उनकी खुदकाश्त की साबित नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज किया है, जिसकी प्रस्तुत प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुये खारिज की है। अपीलांट वादी द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तत दस्तावेज खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 में खसरा नंबर 10 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा किस्म धड़ा कॉलम नंबर 3 भोक्ता का नाम पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ''बशरह सदर'' तथा कॉलम नंबर 4 उपभोक्ता का नाम, पिता का नाम जाति व निवास स्थान में ''गैर काबिजकाश्त'' दर्ज है तथा खसरा नंबर 14, 17 व 18 के कॉलम नंबर 3 में ''दुलेराज वल्द तेजराज दर्जी सा. जोधपुर व कॉलम नंबर 4 में ''गैर काबिलकाश्त'' दर्ज है। प्रस्तुत खसरा

गिरदाविरयों संवत् 2018 से 2049 में भी उपरोक्त खसरों में अपीलांट/वादी की काश्त दर्ज नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से भी विवादित आराजियात वादी/अपीलांट की खुदकाश्त की प्रमाणित नहीं होती है।

7— उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी जोधपुर ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30—3—05 पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने निर्णय दिनांक 27—2—06 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य